

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 25-10-12

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	1545.636

कुल आवंटित राशि - रुपये पन्द्रह करोड़ पैतालीस लाख तीसठ हजार छः सौ मात्र

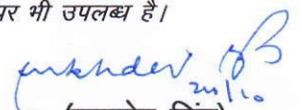
- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 7380.82368 लाख (तीहत्तर करोड़ अस्सी लाख बेरासी हजार तीन सौ अठसठ मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

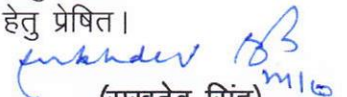
132

राँची, दिनांक :-

25-10-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

132

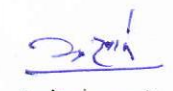
राँची, दिनांक :-

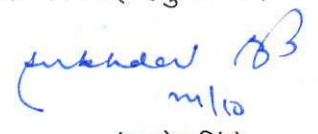
25-10-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के अप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानानापुर एवं संचालन परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक: 132 दिनांक: 25-10-18 का अनुलनक

परीक्षित 1

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्त		विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-मोटरगाड़ियां विधि प्रसार		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन	पूर्व का आवंटन	वर्तमान	वर्षा	वर्षा	वर्षा	वर्षा	वर्षा	वर्षा	वर्षा	वर्षा	कुल योग	अभिवृद्धि
1	मुख्य अभियंता	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	49N270103001	18	19
2	जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	19.680	0.000	0.000	0.700	0.350	0.000	0.000	0.050	0.000	0.600	0.050	21.430	
3	मुख्य अभियंता	59.680	0.000	0.000	0.900	0.650	0.000	0.000	0.150	0.000	1.100	0.050	62.530	
4	जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	2.000	0.000	0.000	0.200	2.426	0.000	0.400	0.200	0.000	0.800	0.000	5.826	#
5	औरंगा निमाण अवल, मेदिनीनगर	56.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.200	57.100	#
6	कदमन बांध अवल, गढ़वा	62.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.200	62.900	
7	रूपाकाण आयोजन एवं मोनिटिंग अवल, मेदिनीनगर	34.000	0.000	0.200	0.300	0.350	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.050	35.650	
8	अग्रिम योजना प्रो. पलाय	46.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	46.750	
9	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	76.000	0.000	0.000	0.850	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.700	0.000	78.000	
10	अनुसंधान एवं मोनिटिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर	65.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	65.750	
11	औरंगा निमाण प्रमंडल, पाली पलाय	90.000	0.000	0.000	0.450	0.350	0.000	0.250	0.100	0.000	0.450	0.000	91.600	
12	अग्रिम आवंटन	155.000	0.000	0.000	0.650	0.550	0.000	0.250	0.150	0.000	0.750	0.000	157.350	
13	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	160.750	
14	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.350	0.000	0.250	0.100	0.000	0.450	0.250	1.900	
15	अग्रिम आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.700	0.550	0.000	0.250	0.100	0.000	0.750	0.250	162.650	
16	पूर्व का आवंटन	130.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	130.450	
17	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	4.234	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.234	#
18	अग्रिम आवंटन	130.000	0.000	0.000	0.200	4.434	0.000	0.000	0.050	0.000	0.750	0.000	134.684	

(श्वेता कुमारी)

(राजेन्द्र प्रसाद)

(सुखदेव सिंह)

सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि०)

अपर मुख्य सचिव

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018		वित्तिय शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते										वित्तिय शीर्ष-02- यात्रा व्यय										वित्तिय शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय										वित्तिय शीर्ष-04- मोटरगाडियां		वित्तिय शीर्ष-07- अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में		अभिवृद्धि
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलएडीवी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, रेंट, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां	इंधन एवं	विपत्र प्रभार	कुल योग																							
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
10	कदम बाँध प्रमंडल, नगर उंटारी गढ़वा		66.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	66.750																								
			33.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.200	0.000	33.470																								
			अवशेष आवंटन	99.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.500	0.000	100.220																							
11	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी		128.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	128.450																								
			105.260	0.000	0.000	0.650	1.690	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.050	107.750	#																							
			अवशेष आवंटन	233.260	0.000	0.000	0.850	1.890	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.050	236.200																							
12	कोनार नहर प्रमंडल, बनौर		135.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	135.750																								
			0.000	0.000	0.000	0.000	2.332	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	2.332	#																							
			अवशेष आवंटन	135.000	0.000	0.000	0.200	2.532	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	138.082																							
13	कोनार नहर प्रमंडल, बनासी		130.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	130.450																								
			62.500	0.000	0.200	0.100	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	63.200																								
			अवशेष आवंटन	192.500	0.000	0.200	0.300	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.200	193.650																							
14	गुण नियंत्रण प्रमंडल, बेदिनीनगर		82.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	82.700																								
			53.100	0.000	0.000	0.300	0.337	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	54.287	#																							
			अवशेष आवंटन	135.100	0.000	0.000	0.500	0.537	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.350	136.987																							
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग		60.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.200	1.100	0.000	62.300																								
			0.000	0.000	0.000	0.450	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	1.000																								
			अवशेष आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.650	0.750	0.000	0.200	0.100	0.000	0.200	1.400	0.000	63.300																							
16	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा		138.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	138.750																								
			85.000	0.000	0.200	0.450	0.350	0.000	0.250	0.100	0.000	0.400	0.500	0.200	87.450																								
			अवशेष आवंटन	223.000	0.000	0.200	0.650	0.550	0.000	0.250	0.150	0.000	0.400	0.800	0.200	226.200																							
17	जलपथ प्रमंडल, बरही		218.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	218.450																								
			220.000	0.000	0.000	0.450	5.637	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	226.287	#																							
			अवशेष आवंटन	438.000	0.000	0.000	0.650	5.837	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	444.737																							
18	जलपथ प्रमंडल, रंजी		312.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	312.450																								
			170.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.250	0.000	0.000	0.400	0.000	0.200	171.250																								
			अवशेष आवंटन	482.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.250	0.050	0.000	0.400	0.000	0.200	483.700																							
19	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन		46.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	46.700																								
			48.000	0.000	0.200	0.450	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.300	0.450	0.350	50.300																								
			अवशेष आवंटन	94.000	0.000	0.200	0.650	0.500	0.000	0.250	0.000	0.000	0.300	0.750	0.350	97.000																							

132
25-10-12

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

132
25-10-12

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एगोटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	चिपुल व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं	विविध प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
20	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग		249.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	249.750							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.450	0.250	0.250	1.150							
21	रूपांकण एवं मोनिंग प्रो. हजारीबाग		30.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.750	0.250	0.250	250.900							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.300	0.200	0.200	31.700							
22	रूपांकण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर		30.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.400	0.100	0.000	0.200	0.300	0.200	0.200	32.150							
			178.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	178.750							
23	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर		126.320	0.000	0.200	0.450	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	127.420							
			304.320	0.000	0.200	0.650	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.300	0.100	0.100	306.170							
24	सिचाई प्रमंडल, डुई		132.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.450							
			117.100	0.000	0.000	0.650	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.200	118.600							
25	सिचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर		249.100	0.000	0.000	0.850	0.500	0.000	0.250	0.050	0.000	0.100	0.000	0.200	0.200	251.050							
			220.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	220.450							
			215.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	0.250	0.250	216.300							
			435.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.400	0.000	0.250	0.250	436.750							
			135.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	135.750							
			55.000	0.000	0.000	0.350	0.350	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	56.300							
			190.000	0.000	0.000	0.550	0.550	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.700	0.000	0.000	192.050							
			1500.960	0.000	1.000	7.200	22.356	0.000	2.950	0.870	0.000	1.850	5.850	2.600	1545.636								

नोट: विल विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-38/बजट दि. 04.02.13 के आलेख में विरुद्ध मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

:- कार्यालय व्यय मद में अतिरिक्त राशि का आवंटन JCF ज्ञापक सं- 92 दिनांक -15.09.17 द्वारा प्राप्त राशि तथा राज्यादेश पत्रांक -103 दिनांक -28.09.17 के आलेख में आयकर त्रैमासिक रिटर्न ससमय फाईल नहीं किये जाने के कारण लेट फाईलिंग फीस एवं चंदमूल खाज के भुगतान हेतु आवंटित।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये पन्द्रह करोड़ पैंतालीस लाख तीससठ हजार छः सौ मात्र

(रश्मि कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

132
25-10-17

132
m/lr